भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 478

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण

*478. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान से गुजरने वाले अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत निर्मित सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है जिसके कारण सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और ऊबड़-खाबड़ हो गई है और उसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कौन-कौन व्यक्ति/प्राधिकारी जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है, यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों और इस संबंध में अब तक किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सड़क पर श्रेणी-वार कितना बजटीय व्यय किया गया है; और

(ङ) इस पूरी परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कितने भूमिधारकों को मुआवजा दिया गया है और मुआवजे के लिए राज्य-वार और जिला-वार निर्धारित दर और मानक क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण" के संबंध में श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 478 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के खंड का निर्माण निर्धारित मानकों और विनिर्देशों तथा प्रासंगिक भारतीय सडक कांग्रेस (आईआरसी) कोड के अनुसार किया गया है। वर्ष 2023 में यातायात खुलने और मानसून के बाद, कुछ स्थानों पर समस्या देखी गई। स्थायी सुधारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए, आईआईटी खड़गपुर के क्षेत्र (डोमेन) विशेषज्ञों के माध्यम से फुटपाथ की जांच की गई है। वे खंड/स्थान जहां समस्या आई थी, वहां करार समझौते में परिकल्पित 5 वर्ष की दोष देयता अवधि (डीएलपी) के तहत रखरखाव दायित्वों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर डोमेन विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार सुधार किया गया है।

(ग) संपूर्ण राजमार्ग के ज्यामितीय डिजाइन की समीक्षा की गई थी और यह पाया गया कि यह पूरी तरह से आईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार है। सभी जंक्शन और ग्रेड सेपरेटेड संरचनाएं भी आईआरसी के मानदंडों के अनुसार हैं और 100 किमी/घंटा की डिजाइन गति के लिए सुरक्षित हैं।

कॉरिडोर पर दुर्घटनाओं की भी जांच की गई और आमतौर पर यह देखा गया कि दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से हुईं, जिनमें लंबे समय तक कार्य करने के कारण ड्राइवर की थकान और उनका विश्राम ना करना शामिल हैं।

(घ) राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे की कुल परियोजना लागत भूमि अधिग्रहण और निर्माण लागत सहित 15797.71 करोड़ रुपये है।

(ड.) भूमिधारकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**जिला**	**भूमिधारकों की संख्या**	**मुआवजा राशि (करोड रु. में)**
हरियाणा	डबवाली	201	38.25
राजस्थान	हनुमानगढ़	1601	250.80
	श्री गंगानगर	688	23.10
	बीकानेर	10677	138.55
	जोधपुर	4864	165.27
	बाड़मेर	2841	107.65
	जालौर	2616	185.47

मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किया गया है और इसमें राज्य सरकार की अधिसूचना, दिनांक 14.06.2016 पर आधारित कारक शामिल किए गए हैं।

*****